

मध्यप्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 27/08/2013

क्रमांक.एफ.3-87/1998/बी-3/दो,
प्रति,

पुलिस महानिदेशक,
पुलिस मुख्यालय
भोपाल

विषय:-निरन्तर डियूटी में कार्यरत पुलिस कर्मचारियों को कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के दौरान निःशुल्क नाश्ता एवं भोजन की दरों में वृद्धि के संबंध में।
संदर्भ:-आपका पत्र क्रं० पुमु/18/यो०/2-8/06/13 दिनांक 05.06.2013

—00—

राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक आदेश क्रं० एफ.3-87/98/बी-3/दो दिनांक 13.10.2008 की अनुक्रम में निरन्तर डियूटी में कार्यरत पुलिस कर्मचारियों को कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दौरान निःशुल्क नाश्ता की दरें क्रमशः रुपये 10 से बढ़ाकर रु० 15 एवं भोजन की दरें रुपये 30 से बढ़ाकर रु० 45 (मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर) किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक जावक क्र. 1594/13/नियम/कार दिनांक 20-8-13 द्वारा महालेखकार म०प्र० ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

27.8.13

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)

उप सचिव

9C मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग
भोपाल, दिनांक 27/08/2013

पृ.क्रमांक.एफ.3-87/1998/बी-3/दो,

प्रतिलिपि:-

1. एक अतिरिक्त प्रतिलिपि सहित सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को सूचनार्थ।
2. एक अतिरिक्त प्रति महालेखाकार म०प्र० ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु।
3. गार्ड फाईल।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग

27.8.13
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग